न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या :47/2021

रामकिशन पुत्र सीताराम सुमन जाति माली निवासी ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल

.....प्रार्थी

बनाम

01. गीता बाई
02. कैलाशबाई } पुत्रीयां सीताराम जाति माली निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
03. मोहनीबाई
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 25.11.2021 निर्णय दिनांक : 12.11.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल का स्थायी निवासी है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है।
2. यह कि प्रार्थी के पिता सीताराम उर्फ छीत्या पुत्र दोला के नाम ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां राज में खाता संख्या 455 की खसरा नं. 1202 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1408 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 1408/1806 रकबा 0.08 है0, खसरा नं.1414/1807 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 1415 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 1416/1808 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 298 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 299 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 345 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 348 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 854 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 857 रकबा 0.81 है0, खसरा नं. 96 रकबा 0.74 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.36 हैक्टयर भूमि ग्राम भटवाड़ा में स्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 1409 की 0.05 हैक्टयर भूमि स्थित है जो पूर्व जमाबंदी में सीताराम पुत्र दोला जाति माली निवासी भटवाड़ा के नाम दर्ज है।
3. यह कि सीताराम पुत्र दोला का स्वर्गवास दिनांक 18.03.2018 को हो चुका है लेकिन सीताराम पुत्र दोला का स्वर्गवास होने के बाद पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच किये इंतकाल नं. 1393 व 1338 से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि खातेदार सीताराम उर्फ छीत्या ने प्रार्थी के नाम एक वसीयत दिनांक 14.03.2017 को रूबरू गवाहान लिखवाकर प्रार्थी को सुपुर्द कर रखी थी कि मेरी

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

मृत्यु उपरांत उपरोक्त खाता संख्या 455 नया, पुराना 438 की कुल किता 13 कुल कुल रकबा 3.36 हैक्टयर ग्राम भटवाड़ा में स्थित भूमियों का मालिक व स्वामी प्रार्थी ही होगा तथा मेरी मृत्यु उपरांत मेरी पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा क्योंकि मैंने मेरी पुत्रियों का मुताबिक हैसियत विवाह कर दिया है तथा उक्त वसीयत के माध्यम से उक्त सम्पत्ति को लेकर प्रार्थी से कोई झगड़ा–फसाद न करे तथा उक्त वसीयत के माध्यम से उपरोक्त भूमियां प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवा सके इसलिए प्रार्थी उक्त भूमियों को अपने नाम वसीयतनामा के मुताबिक अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी तथा नालिशी है।

4. यह कि पटवारी हल्का द्वारा जो इंतकाल नं0 1338 व 1393 दिनांक 18.09.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत भटवाड़ा की बैठक में 20.09.2019 को जो स्वीकृत कर खोला गया है वह बिना जांच पड़ताल के खोला गया है। इसलिए उक्त इंतकाल नं० 1393 व इंतकाल नं0 1338 मुताबिक वसीयत वादी के नाम दर्ज किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि इंतकाल नं0 1393 दिनांक 18.09.2019 व इंतकाल नं० 1338 जो पंचायत ने तस्दीक कर स्वीकृत किया है व बिना जांच पड़ताल के किया गया है। इसलिए उक्त इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि उक्त वसीयतनामा दिनांक 14.03.2017 के मुताबिक उपरोक्त भूमियां प्रार्थी के ही नाम दर्ज होनी थी क्योंकि अप्रार्थीगण का इसमें किसी भी प्रकार का मुताबिक वसीयत हक व हिस्सा नहीं बनता है इसलिए प्रार्थी उक्त इंतकाल नं को निरस्त करवाये जाने का पूर्ण अधिकारी तथा नालिशी है।
6. यह कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण से उक्त कृत्य की जानकारी जब हुई तब उन्होंने अपने नाम दर्ज हुई भूमियों पर कब्जा कर बेचान करने की धमकी दी, तब प्रार्थी द्वारा इंतकाल की नकल दिनांक 29.10.2021 को प्राप्त होने के बाद जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण ने षड़यन्त्रपूर्वक उक्त जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली है इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य की जानकारी नकल लेने पर प्राप्त हुई तथा उक्त इंतकाल पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच के खोला गया है जिसे प्रार्थी निरस्त कवाने का अधिकारी तथा नालिशी है तथा उपरोक्त भूमिया मद नं0 2 में वर्णित अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।
7. यह कि प्रार्थी द्वारा धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का नोटिस राजस्थान सरकार के वैध प्रतिनिधि को दिया जा चुका है लेकिन उन्होंने प्रार्थी को कोई सहायता नहीं पहुंचाई. इसलिए प्रार्थना–पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना–पत्र 80 (2) का अलग से संलग्न कर दिया गया है।
8. यह कि उक्त भूमियां अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को दिनांक 24.10.2021 को धमकी दी कि उक्त भूमियों को बेचान करके रहेगें तब जाकर प्रार्थी को अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थी को इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

9. यह कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पूर्णतया प्रथम दृष्टाय साबित है क्योंकि मुताबिक वसीयत उक्त भूमिया जो गलत तरीके से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई है उसको निरस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है, क्योंकि वादी अपने पिता के जमाने से लगभग 50 वर्ष से निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है।
10. यह कि अप्रार्थीगण अपने गलत उद्देश्य में कामयाब होकर उपरोक्त भूमियों को बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं है और प्रार्थी को दीगर मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा
11. यह कि सुविधा का सन्तुलन भी मुताबिक प्रार्थना पत्र विगत 50 वर्षो से कब्जा होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में है, अगर अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमियों को रहन बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वाद–पत्र की मद नं० 2 में भूमियों को रहन बेचान व मुन्तकिल न करे व प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील बहस एक पक्षीय सुनी गयी। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र क़ा निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को रहन–बेचान करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थी सीताराम सुमन का जायज पुत्र एवं कानुनी वारिस है। खातेदार सीताराम उर्फ छीत्या ने प्रार्थी के नाम एक वसीयत दिनांक 14.03.2017 को रूबरू गवाहान लिखवाकर प्रार्थी को सुपुर्द की थी कि जिसके अनुसार खातेदार सीताराम उर्फ छीत्या की मृत्यु उपरांत उपरोक्त खाता संख्या 455 नया, पुराना 438 की कुल किता 13 कुल कुल रकबा 3.36 हैक्टयर ग्राम भटवाड़ा में स्थित भूमियों का मालिक व एकमात्र स्वामी प्रार्थी ही होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : यदि अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 द्वारा भमि का रहन–बेचान, हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है एवं प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी भूमि पर वर्षो से काबिज काश्त है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील एक पक्षीय, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल के नया खाता संख्या 455 पुराना खाता संख्या 438 के खसरा नं. 1202 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1408 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 1408/1806 रकबा 0.08 है0, खसरा नं.1414/1807 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 1415 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 1416/1808 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 298 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 299 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 345 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 348 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 854 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 857 रकबा 0.81 है0, खसरा नं. 96 रकबा 0.74 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.36 हैक्टयर भूमि का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करे, ना ही ऐसा अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner